भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1309

(जिसका उत्तर सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण,1947 (शक) को दिया जाना है।)

"फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों पर जीएसटी में कमी"

1309. डॉ.सी.एम.रमेश:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वाहनों में वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दे रही है;
(ख) क्या यह सच है कि राज्य फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों पर अधिक जीएसटी लगा रहे हैं, जिससे ऑटोमोबाइल उद्योग में विकास को बढ़ावा देने का उद्देश्य ही विफल हो रहा है;
(ग) क्या सरकार द्वारा राज्यों से फ्लेक्स-फ्यूल पर जीएसटी को वर्तमान 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने का कोई अनुरोध किया गया है;
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार उपरोक्त शुल्कों को इलेक्ट्रिक वाहनों की तरह 5 प्रतिशत और हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों के मामले में 12 प्रतिशत तक कम करने पर विचार कर रही है;
(च) क्या जीएसटी परिषद में उपरोक्त मुद्दे पर कोई चर्चा हुई है; और
(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): सरकार वाहनों में इस्तेमाल होने वाले वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय कर रही है:

(i) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मोटर स्पिरिट और हाई-स्पीड डीज़ल के विपणन हेतु प्राधिकार प्रदान करने के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। प्राधिकृत संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को अब अपने प्रस्तावित खुदरा दुकानों पर उक्त दुकानों के चालू होने के तीन वर्षों के भीतर, कम से कम एक नवीनतम प्रकार के वैकल्पिक ईंधनों जैसे कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस (सीएनजी), जैव ईंधन, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी), इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन (ईवीसीएस) आदि के विपणन हेतु सुविधाएँ प्रदान करनी अपेक्षित होंगी, बशर्ते वह संस्था विभिन्न अन्य सांविधिक दिशानिर्देशों का पालन करे।

(ii) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने विभिन्न वैकल्पिक ईंधन वाले वाहनों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्सर्जन मानदंड अधिसूचित किए हैं। इन मानदंडों के दायरे में इथेनॉल-मिश्रित ईंधनों, हाइड्रोजन, सीबीजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) आते हैं।

(iii) जीएसटी परिषद की सिफारिश के आधार पर मोटर स्पिरिट और हाई-स्पीड डीजल तेल के साथ मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों या पेट्रोलियम रिफाइनरियों को आपूर्त इथेनॉल और बायोडीजल पर 5% की रियायती जीएसटी दर निर्धारित की गई है।

(iv) शुल्क भुगतान किए गए पेट्रोल को शुल्क भुगतान किए गए इथेनॉल के साथ और शुल्क भुगतान किए गए बायोडीजल को हाई-स्पीड डीजल के साथ मिश्रित करने पर उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

(v) बिना मिश्रित पेट्रोल पर 2/-रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगता है।

(ख) : जीएसटी की दरें जीएसटी परिषद जो केंद्र और राज्य सरकारों के सदस्यों वाली एक संवैधानिक निकाय है, की सिफारिशों पर आधारित हैं। वर्तमान में आंतरिक दहन (इंटरनल कंबशन) वाहनों पर लागू जीएसटी दर 28% है, चाहे ईंधन का प्रकार कुछ भी हो, जिसमें वैकल्पिक ईंधन भी शामिल हैं।

(ग) और (घ) : जीएसटी की दरें जीएसटी परिषद जो एक संवैधानिक निकाय है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्य शामिल होते हैं, की सिफारिश पर आधारित हैं। फ्लेक्स फ्यूल वाहनों पर जीएसटी दर में कमी के मुद्दे पर जीएसटी परिषद ने दिनांक 07.10.2023 को आयोजित अपनी 52वीं बैठक में विचार-विमर्श किया था। हालाँकि इस परिषद ने इस संबंध में किसी भी बदलाव की सिफारिश नहीं की है।

तथापि, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे उपयोगकर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में फ्लेक्स फ्यूल वाहनों (एफएफवी) पर सड़क कर में छूट या कमी पर विचार करें।

(ङ) से (छ) : जीएसटी दरें जीएसटी परिषद, जो एक संवैधानिक निकाय है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्य शामिल होते हैं, की सिफारिश पर आधारित हैं। फ्लेक्स फ्यूल वाहनों पर जीएसटी दर में कमी के मुद्दे पर जीएसटी परिषद ने दिनांक 07.10.2023 को आयोजित अपनी 52वीं बैठक में विचार-विमर्श किया था। हालाँकि परिषद ने इस संबंध में किसी भी बदलाव की सिफारिश नहीं की है।

*****